

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक 299, बी ब्लॉक, 100 फिट रोड, हिरन मंगरी, सेक्टर 14, जिला उदयपुर, राजस्थान

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)


बनाम

- (1) श्रीमती अंजली देवी पगारिया पत्नी श्री विनोद कुमार यादव पेशा : सेवाकार्य, निवासी 37, शांति कालोनी, आसोटिया, कांकरोली जिला राजसमंद  
-अप्रार्थीगण/ऋणी
- (2) श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री रामलाल यादव, निवासी 37 शांति कॉलोनी, आसोटिया, कांकरोली जिला राजसमंद  
- जमानतदार

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 74/2022

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 02.09.2022</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक 299, बी ब्लॉक, 100 फिट रोड हिरन मंगरी, सेक्टर 14, जिला उदयपुर ने दिनांक 20.07.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्रीमती अंजली देवी पगारिया पत्नी श्री विनोद कुमार यादव, 37 शांति कॉलोनी, आसोटिया, कांकरोली जिला राजसमंद एवं जमानतदार श्री विनोद कुमार यादव को रूपये 14,00,000/- एवं 11,00,000/- का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में आवासीय अचल संपत्ति, भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 648/2, राजस्व ग्राम आसोटिया, कांकरोली जिला राजसमंद में स्थित है जो श्रीमती अंजली देवी पगारिया पत्नी श्री विनोद कुमार यादव के नाम से है जिसके पड़ोस निम्नानुसार है :- पूर्व: प्लाट नं. 2 , पश्चिम: रोड, उत्तर: रोड़, दक्षिण: प्लाट नं. 7, जिसका क्षेत्रफल 1560.00 वर्गफिट है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 28.09.2021 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ऋणी के ऋण खाते में रूपये</p>	



फर्द अहकाम  
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पंजाब एण्ड सिंध बैंक 299, बी ब्लॉक, 100 फिट रोड, हिरन मंगरी, सेक्टर 14, जिला उदयपुर, राजस्थान

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

(1) श्रीमती अंजली देवी पगारिया पत्नी श्री विनोद कुमार यादव पेशा : सेवाकार्य, निवासी 37, शांति कालोनी, आसोटिया, कांकरोली जिला राजसमंद

—अप्रार्थीगण/ऋणी

(2) श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री रामलाल यादव, निवासी 37 शांति कॉलोनी, आसोटिया, कांकरोली जिला राजसमंद

— जमानतदार

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 74/2022

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 02.09.2022</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब एण्ड सिंध बैंक 299, बी ब्लॉक, 100 फिट रोड हिरन मंगरी, सेक्टर 14, जिला उदयपुर ने दिनांक 20.07.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्रीमती अंजली देवी पगारिया पत्नी श्री विनोद कुमार यादव, 37 शांति कॉलोनी, आसोटिया, कांकरोली जिला राजसमंद एवं जमानतदार श्री विनोद कुमार यादव को रूपये 14,00,000/- एवं 11,00,000/- का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणीयों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजो को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में आवासीय अचल संपत्ति, भूमि एवं भवन जो आराजी नं. 648/2, राजस्व ग्राम आसोटिया, कांकरोली जिला राजसमंद में स्थित है जो श्रीमती अंजली देवी पगारिया पत्नी श्री विनोद कुमार यादव के नाम से है जिसके पड़ोस निम्नानुसार है :- पूर्व: प्लाट नं. 2 , पश्चिम: रोड, उत्तर: रोड, दक्षिण: प्लाट नं. 7, जिसका क्षेत्रफल 1560.00 वर्गफिट है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 28.09.2021 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ऋणी के ऋण खाते में रूपये</p>	

